राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 06/09/2021 को संपन्न 387वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 385वीं एवं 386वीं बैठक क्रमशः दिनांक 31/08/2021 एवं 01/09/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 385वीं एवं 386वीं बैठक क्रमशः दिनांक 31/08/2021 एवं 01/09/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स मानपुर डोलोमाईट स्टोन (लो ग्रेड) क्वारी माईन (प्रो.– श्री भास्कर कुमार सिंह), ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1758)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 223686/2021, दिनांक 08/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 79, 129/11 एवं 129/30, कुल क्षेत्रफल–2.409 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 53,802.78 टन (20,693.38 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भास्कर कुमार सिंह, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमो का दिनांक 05/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1256/2/खनि/डोलोमाईट/उ.यो. /2021 बिलासपुर, दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.944 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 822/ख.लि. /खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 44/ख.लि./खनिज/उ.प./20–21 कबीरधाम, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 79 श्री शिवकुमार एवं खसरा क्रमांक 129/11 एवं 129/30 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./13838 कवर्धा, दिनांक 26/10/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 24 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमो 0.32 कि.मी., स्कूल ग्राम–मानपुर 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल कवर्धा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.25 कि.मी. दूर है। मचकुंडाना नदी 0.5 कि.मी. एवं तालाब 0.4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 10,96,095 टन (4,21,575 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 5,38,684 टन (2,07,186 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल 5,11,750 टन (1,96,827 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,217 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,936 घनमीटर है, जिसमें से 5,600 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 3,336 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं के भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,400
द्वितीय	51,252
तृतीय	53,802
चतुर्थ	51,129
पंचम	51,270

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	51,129
सप्तम	51,307
अष्टम	51,092
नवम	50,640
दशम	50,729

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.51 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,244 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.944 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मानपुर) का रकबा 2.409 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मानपुर) को मिलाकर कुल रकबा 7.353 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सलका आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे), ग्राम–सलका, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1759)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 223746/2021, दिनांक 08/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सलका, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 248, कुल क्षेत्रफल–0.71 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,993.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती ममता चौबे, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 248, कुल क्षेत्रफल – 0.71 हेक्टेयर, क्षमता – 2,993.52 टन (1,108.71 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1207/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016–17	29
2017–18	945
2018–19	1,105
2019–20	1,104
2020–21	950

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलका का दिनांक 23/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1019/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 916/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.08 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 915/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 140 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती ममता चौबे के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/10/2012 से 16/10/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/10/2017 से 16/10/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 248 श्री नरेन्द्रनाथ उपाध्याय के नाम पर हैं। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2552, दिनांक 15/12/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलका 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–सलका 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 21.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.1 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 3 कि.मी., तालाब 0.31 कि.मी. एवं नाला 0.14 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 90,383 टन (33,475 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 31,009 टन (11,485 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल 27,908 टन (10,336 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 82,944 टन एवं रिकव्हरेबल 21,213 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,585.76 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,562.99 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022	2,993
2023	2,993
2024	2,994
2025	2,994
2026	2,993

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी का क्षेत्रफल 3,585 वर्गमीटर एवं परिधि 478 मीटर है। अतः इस क्षेत्र में 717 नग पौधें 3 पक्तियों में रोपित किये जाएगें। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 517 नग पौधे 3 माह के भीतर रोपित किये जायेगें।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.66	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Salka**	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	**0.50**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 916/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.08 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सलका) का रकबा 0.71 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सलका) को मिलाकर कुल रकबा 2.79 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सलका आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे) की ग्राम–सलका, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 248 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.71 हेक्टेयर, क्षमता – 2,993 टन (1,108 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस (प्रो.– श्री सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1760)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 64481 / 2021, दिनांक 09 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 216 / 1, 219 / 2, 216 / 4, 219 / 3, 216 / 2, 216 / 3, 218 / 1, 218 / 2, 219 / 1 एवं 220, कुल क्षेत्रफल–1.918 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 13,323.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसरा का दिनांक 29 / 03 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777 / खनि / डोलोमाईट उ.यो. / 2021 बिलासपुर, दिनांक 27 / 05 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777 / डोलोमाईट / प्रमाण पत्र / 2021 बिलासपुर, दिनांक 27 / 05 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777 / डोलोमाईट / प्रमाण पत्र / 2021 बिलासपुर, दिनांक 27 / 05 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2321/गौण खनिज/न.क्र. 11/2020–21 बिलासपुर, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 216/1, 219/2, 216/4, 219/3 श्री सुखीराम एवं खसरा क्रमांक 216/2, 216/3, 218/1, 218/2, 219/1 एवं 220 श्री जागेश्वर ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, तखतपुर के ज्ञापन क्रमांक/351, दिनांक 31/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसरा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलसरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बेलसरा 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.7 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,91,800 टन (76,720 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 1,35,087 टन (54,035 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल 1,28,333 टन (51,333 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,445 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 29,470 घनमीटर है, जिसमें से 4,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 26,943.5 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं के भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,516
द्वितीय	12,706

तृतीय	12,801
चतुर्थ	12,611
पंचम	12,825

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	13,003
सप्तम	13,181
अष्टम	13,323
नवम	12,469
दशम	12,896

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसरा) का रकबा 1.918 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसरा) को मिलाकर कुल रकबा 12.441 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स भिरौद सेण्ड माईन (प्रो.– सुश्री सुमन बंजारे), ग्राम–भिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1761)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 66541/2021, दिनांक 11/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भिरौद, तहसील–चारामा जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 111, कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भिरौद का दिनांक 28/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 59/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(इ)/ खनिज/रेत(मूल) /2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(बी)/खनिज/रेत(मूल)/2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सुश्री सुमन बंजारे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1237 खनिज/रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2020–21 कांकेर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भिरौद 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–भिरौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 0.6 कि.मी. की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 390 मीटर, न्यूनतम 252 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 892 मीटर, न्यूनतम 806 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 89 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दाये किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर एवं बायें किनारे से दूरी अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 9 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.01 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 04/06/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज फाईनल ई. आई.ए. रिपार्ट में शामिल किया जाए।

15. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.34 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(इ)/ खनिज/रेत(मूल) /2021—22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम—भिरौद) का रकबा 9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः—

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
    ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
    iii. Project Proponent shall submit the post monsoon RL survey report (same grid points mentioned in pre-monsoon report) of the proposed mine and 100 meters outside the mine in upstream and downstream. The RL report shall be certified from the mining department.
    iv. Post monsoon measurement of depth of sand in the mine area at 9 places all over the mine.
    v. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
    vi. Project Proponent shall submit the details of transportation route along with approach road.
    vii. Project Proponent shall submit the copy of LOI extension.
    viii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
    ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
    x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
    xi. Project proponent shall submit plantation details all along the river bank and submit photographs in the EIA report.
    xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स श्री बालाजी ब्रिक्स उद्योग (प्रो.– श्री घनश्याम चन्द्रा, चोरभट्ठी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट), ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1762)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 224423/2021, दिनांक 12/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 97 एवं 116, कुल क्षेत्रफल–1.153 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चन्द्रहास साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चोरभट्ठी का दिनांक 17/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4042/खलि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 06/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1021/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1020/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सोन नदी 138 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. आवेदक के नाम पर है, जिसमें कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 770/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2985 चांपा, दिनांक 03/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 13.7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चोरभट्ठी 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–चोरभट्ठी 1 कि.मी. एवं अस्पताल जैजैपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। सोन नदी 0.138 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 23,060 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 17,212 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 664 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.15 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	500	5,00,000
द्वितीय	500	5,00,000
तृतीय	500	5,00,000
चर्तुथ	500	5,00,000
पंचम	500	5,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	500	5,00,000
सप्तम	500	5,00,000
अष्ठम	500	5,00,000
नवम	500	5,00,000
दशम	500	5,00,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 335 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला से लगभग 5 से 8 प्रतिशत ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
40	2%	0.80	Following activities at Government Navin Primary School, **Village-chorbhatti (bhatapara)**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Total	**1.00**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1021/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–चोरभट्ठी) का रकबा 1.153 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री बालाजी ब्रिक्स उद्योग (प्रो– श्री घनश्याम चन्द्रा, चोरभट्ठी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) की ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 97 एवं 116 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.153 हेक्टेयर, क्षमता – 500 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,00,000) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड (आरसमेटा लाईम स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट), ग्राम–आरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1472)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 58499/2021, दिनांक 21/11/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 289/2 एवं अन्य 94 खसरा क्रमांक निजी भूमि तथा खसरा क्रमांक 312/2 शासकीय भूमि, कुल क्षेत्रफल–46.292 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 10,00,360 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश कैमल डिप्टी जरनल मैनेजर एवं श्री अजय सिंह मैनेजर. तथा सलाहकार के रूप में मेसर्स एसीरिज इन्व्हारोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की ओर से डॉ. अंजली हरीभाउ चाचाने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आरसमेटा का दिनांक 15/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण के साथ सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन्स इन अप्रुव्हड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक जांजगिर/चूप/ खयो/1243/ 2020–रायपुर/833, दिनांक 28/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 179/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 03/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान है, जिसका क्षेत्रफल 499.98 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक एफ3–10/2012/XII अटल नगर, दिनांक 05/10/2018 द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा के व्यपगत (Laps) घोषित किये गये खदान को राज्य शासन एतद्द्वारा, एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4ए(4) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम (7) के प्रावधानों के तहत् पुनर्जीवित (Revival) किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार **"आवेदक कंपनी द्वारा खनिपट्टा अनुबंध निष्पादन के उपरांत खनन संक्रियाएं संचालित करने के लिए आवश्यक पर्यावरण सम्मति, Consent to Establish और Consent to Operate प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किये गये, किन्तु कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा खनन कार्य पर लगाई गई रोक और न्यायालयीन प्रकरणों के कारण आवेदक एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4ए(4) के अनुसार कंपनी खनन संक्रियाएं संचालित करने में असफल रही। खनन संक्रियाएं संचालित करने में असफल रहने के लिए जो कारण है, वे कारण आवेदक कंपनी के नियंत्रण में नहीं थे और**

आवेदक कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19/07/2017 द्वारा आवेदक कंपनी मेसर्स न्युवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड को जिला–जांजगीर–चांपा, ग्राम–आरसमेटा के कुल रकबा 46.292 हेक्टेयर क्षेत्र पर व्यपगत (Laps) घोषित किये गये चूना पत्थर खनिपट्टा को राज्य शासन, एतद्द्वारा, एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4ए(4) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम (7) के प्रावधानों के तहत् पुनर्जीवित (Revival) करता है'' का उल्लेख है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अरसमेटा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–अरसमेटा 4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–अरसमेटा 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.37 कि.मी. दूर है। लीलागर नदी 0.075 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14.15 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 9.73 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.17 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 1,70,023 घनमीटर है, आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बण्ड (Bund) निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 7 मीटर एवं चौड़ाई 7 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020–21	80,706
2021–22	10,00,360

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 157.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6.5 घनमीटर प्रतिदिन, अन्य उपयोग हेतु 151 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव,

वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित पिट सम्प (Pit sump) में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति आरसमेटा प्लांट से की जाएगी।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 4,340 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पूर्ण भूमि कंपनी के नाम पर नहीं है, कुछ भूमि का एग्रीमेंट किया गया है। जो कि प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि सम्पूर्ण भूमि मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण होने अथवा सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाए।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 179/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 03/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 499.98 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आरसमेटा) का रकबा 46.292 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आरसमेटा) को मिलाकर कुल रकबा 546.27 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

v. Project proponent shall submit the details of land documents with name change documents.

vi. Project Proponent shall submit the copy of old lease deed.

vii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for mining activities.

viii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स भैंसगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करन भानुशाली), ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1763)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 224584 / 2021, दिनांक 13 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1057, कुल क्षेत्रफल– 1.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 28,260 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02 / 09 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06 / 09 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि

अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश धोढ़ी), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1665)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /63389/2021, दिनांक 19/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/63389/2020, दिनांक 12/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367(पार्ट) एवं 320(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.12 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–27,900 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है। साथ ही जारी टी.ओ.आर. "परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि यह खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए लोक सुनवाई पूर्व में की गई थी। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदानुसार लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा" का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2021 को लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/529/खनि.लि.2/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार मेसर्स मुकेश धोढ़ी को स्वीकृत खदान भी उस क्लस्टर का भाग है जिसके लिए पर्यावणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को आयोजित थी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 114वीं बैठक दिनांक 02/09/2021 में ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए जारी किये गये स्टैण्डर्ड टीओआर में, पूर्व में क्लस्टर हेतु किये गये ई. आई.ए. स्टडी को मान्य किये जाने तथा जारी टीओआर में लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के संबंध में निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 114वीं बैठक दिनांक 02/09/2021 में लिये गये निर्णय अनुरूप प्रकरण पर विचार किया गया।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 395/खनि.लि. 2/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (टन)
जनवरी 2015 से मार्च 2015	निरंक
2015–16	1,300
2016–17	550
2017–18	निरंक
2018–19	
2019–20	
2020–21	

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पथरिया का दिनांक 27/08/1996 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक स/दुर्ग/चूप/खयो–1242/2020–रायपुर/826, दिनांक 18/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 199/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 65.3 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 4206/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,

मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री मुकेश धोदी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/05/2003 से 18/05/2033 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 367 पार्ट एवं 370 शासकीय भूमि है तथा खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, श्री अशोक बाफना के नाम पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/2575 दुर्ग, दिनांक 06/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पथरिया 1.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम– पथरिया 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–पथरिया 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.375 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.7 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 16,96,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 7,20,850 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,100 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,800 घनमीटर है, जिसमें से 9,580 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1.35 मीटर ऊंचाई तक तथा शेष 4,220 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 26 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020–21	27,900
2021–22	27,900
2022–23	27,900

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के उत्खनित क्षेत्र का रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया गया है। उक्त रेस्टोरेशन (Restoration) का कार्य खदान प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर पूर्ण किये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में उल्लंघन नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 93 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 56.1 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 37.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

19. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(in Lakh Rupees)
77	2%	1.54	Following activities at Government Middle School, **Village-Pathariya**	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.115
			Total	**1.355**
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.115
			Total	**0.605**
			Grand Total	**1.96**

22. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान–** इस क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 17 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 12,24,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 5.94 कि.मी. में (2,000 नग) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 10,00,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 3,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु कुल राशि 27,14,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

23. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड एवं खदानों के चारों तरफ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 72,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 0.4 कि.मी. में (500 नग) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,50,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 25,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु कुल राशि 4,47,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

25. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

26. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना –**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N) = (250 x Violation Production) / No. of days of Violation

= (250 x 1850) / 27,900 = 16.57 say 17

Environment Compensation = 80x17x170x0.5x0.5 = Rs. 57,800/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 57,800 की गणना को मान्य किया गया।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि से अधिक 1,00,000/– रूपये का उपयोग हेतु निम्न प्रस्ताव बाबत् अनुरोध किया गया है:–

- शासकीय प्राथमिक स्कूल, अहिवारा में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

अथवा

- पूर्व में क्लस्टर में शामिल 16 खदानों द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् निर्धारित राशि के कार्य एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडावर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण कार्य आदि शासन के किसी उपक्रम के माध्यम से कराये जाने पर क्षेत्र के पर्यावरणीय घटकों पर अनुकूल प्रभाव परिलक्षित होने के साथ Environmental Compensation राशि का समुचित उपयोग किये जाने के लिए निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को जमा कराया गया था। पूर्व में क्लस्टर में शामिल 16 खदानों द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् जमा किये गये राशि के साथ आवेदित खदान द्वारा उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् निर्धारित राशि 1,00,000/– रूपये को भी समायोजित किया जाए।

IV. समिति द्वारा आवेदित खदान द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु Environmental Compensation के तहत् निर्धारित राशि 1,00,000/– रूपये को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा करने के अनुरोध को मान्य किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में 16 खदानों द्वारा जमा राशि एवं आवेदित खदान द्वारा प्रस्तावित राशि 1,00,000/– रूपये हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन कार्यों के तहत् एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध शासकीय भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडावर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण आदि के लिए प्रस्ताव मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति का यह निष्कर्ष है कि क्लस्टर हेतु बनाये गये कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, मॉनिटरिंग प्लान तथा विचाराधीन खदान के लिए प्रस्तावित इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित कार्यों को सुनिश्चित करने पर, खदान को उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को लागू कर, पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुये धारणीय (Sustainably) रूप से चलाया जा सकता है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 199/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 65.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पथरिया) का रकबा 4.12 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पथरिया) को मिलाकर कुल रकबा 69.42 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कार्यों को करने संबंधी अनुरोध पर विस्तार से चर्चा की गई। परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित राशि रूपये 1,00,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाकर सूचना दी जाए। इस मद में सभी उल्लंघन के प्रकरणों में निर्धारित राशि प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन कार्यों के तहत् एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध शासकीय भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडावर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण आदि बाबत् प्रस्ताव मंगाया जाकर आगामी कार्यवाही की जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश धोढ़ी) की ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367(पार्ट) एवं 320(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.12 हेक्टेयर, क्षमता – 27,900 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1638)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62680/2021, दिनांक 14/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/66559/2021, दिनांक 12/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 35 करोड़ होगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 18/03/2021 का निम्न प्रावधान है – "(x) Notwithstanding anything contained above, the projects where construction and commissioning of proposed activities have not been completed within the validity period of the Environmental Clearance (EC) and a fresh application for EC has been submitted due to expiry of the said period of the EC, the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Committee, as the case may be, may exempt the requirement of public hearing subject to the condition that the project has been implemented not less than fifty percentage in its physical form or construction."

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा के तहत् प्रकरण "बी–1" केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपुल पटेल, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार विडियो

कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/10/2009 द्वारा मेसर्स जी. पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2), प्लॉट क्रमांक 662, 679, 697, 712 एवं 713, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (1 x 350 टीपीडी) क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/10/2016 तक थी।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (1x350 टीपीडी) क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से रोलिंग मिल (1x350 टीपीडी) क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। जिसकी नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/07/2022 तक है। इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना का कार्य शेष है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल एवं वायु स्थापना सम्मति की वैधता समाप्त होने के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 6583/तक/मु./छ.ग.प.सं.मं./2018 अटल नगर, दिनांक 12/12/2018 द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) को मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6) के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किया गया।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–बीरगांव 0.5 कि.मी. एवं शहर रायपुर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.0 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area(in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,300	7.46
2	Rolling Mill Area	1,900	10.89
3	Finished Good Area	2,080	11.93
4	Raw Material Area	1,200	6.88
5	Parking Area	700	4.01
6	Road Area	3,280	18.81
7	Greenbelt	6,980	40.02
Total		**17,440**	**100**

4. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Billets				
1.	Sponge Iron	49,500	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	18,950		
3.	Alloys	600		
For Rolling Mill				
1.	Billets	60,000	In House	-
2.		55,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Coal	5,500	Open Market	
4.	Lime	40		

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Activities for which EC previously granted	Activities which has been implemented	Activities for which presently EC applied	Activities After Expansion
1.	Induction Furnace – 60,000 TPA	-	Induction Furnace - 60,000 TPA	Induction Furnace - 60,000 TPA
2.	Rolling Mill - 1,05,000 TPA	Rolling Mill - 1,05,000 TPA	-	Rolling Mill - 1,05,000 TPA

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टी.एम.टी. बार्स का उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हीटिंग फर्नेस आधारित

रोलिंग मिल से टी.एम.टी. बार्स एवं रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा। रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में स्क्रबर स्थापित है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में कोल गैसीफायर हेतु कोयले की मात्रा 5,500 टन प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित परियोजना में कोयले की मात्रा परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें लाईम की मात्रा 40 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल से मिल स्केल – 3,900 टन प्रतिवर्ष एवं इण्ड कटिंग – 6,600 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु इण्डक्''ान फर्नेस इकाई से स्लेग – 6,000 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर बेग डस्ट – 700 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों / ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल, इण्ड कटिंग एवं फिल्टर बेग डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 10 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रति''ात दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आव''यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,408 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 7 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1,150 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 15,000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.698 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.02 प्रतिशत) में 1,745 नग पौधे रोपित किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि इसके अतिरिक्त उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु प्रदूषण भार की गणना प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में रखी गई पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की सीमा 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित करने के आधार पर इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 14,580 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं संचालित रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 14,364 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित परियोजना हेतु पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की सीमा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8,748 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष संभावित है। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे सल्फर डाई-ऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी होगी।

12. रि-हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टीएमटी बार्स के उत्पादन हेतु पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में रि-हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से टीएमटी बार्स एवं रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि टीएमटी बार्स एवं रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स एक ही उत्पाद मिक्स है एवं उत्पादन प्रकिया में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः समिति द्वारा रि-हिटिंग फर्नेस आधारित

रोलिंग मिल से टीएमटी बार्स एवं रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु मान्य किया गया।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2021 से जून, 2021 के मध्य किया गया है। मॉनिटरिंग कार्य करने की सूचना आवेदक द्वारा अपने टी.ओ.आर. आवेदन दिनांक 14/04/2021 में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 6 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर वि"लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17.5 से 38.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 45.9 से 91.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.2 से 23.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 12.3 से 25.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 45.9 डीबीए से 68.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.9 डीबीए से 63.0 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 335 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना से 340 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3500	1%	35	Following activities at 27 Nearby Government Schools, 1 Hospital & 5 Primary Health Center	
			Rain Water Harvesting System	37.38
			Running Water Facility for Toilets	11.20
			Potable Drinking Water Facility with	14.40

			3 year AMC	
			Plantation with Fencing	8.00
			Total	**70.98**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय शाला ग्राम–भरदा, (2) शासकीय शाला ग्राम–मुर्रा, (3) शासकीय शाला ग्राम–हसदा, (4) शासकीय शाला ग्राम–निओनारा, (5) शासकीय शाला ग्राम–पहरा, (6) शासकीय शाला ग्राम–धौरा, (7) शासकीय शाला ग्राम–रामपुर, (8) शासकीय शाला ग्राम–भोथली, (9) शासकीय शाला ग्राम–घुघवा, (10) शासकीय शाला ग्राम–कांदुल, (11) शासकीय शाला ग्राम–बाराडुआ, (12) शासकीय शाला ग्राम–जोरा, (13) शासकीय शाला ग्राम–सेरीखेड़ी, (14) शासकीय शाला ग्राम–धनसुली, (15) शासकीय शाला ग्राम–पचेड़ा, (16) शासकीय शाला ग्राम–तर्रा, (17) शासकीय शाला ग्राम–मटिया, (18) शासकीय शाला ग्राम–जरोदा, (19) शासकीय शाला ग्राम–चटौद, (20) शासकीय शाला ग्राम–अडसेना, (21) शासकीय शाला ग्राम–निल्जा, (22) शासकीय शाला ग्राम–पथरी, (23) शासकीय शाला ग्राम–तारेसर, (24) शासकीय शाला ग्राम–सिलयारी, (25) शासकीय शाला ग्राम–मलौद, (26) शासकीय शाला ग्राम–कुकेरा, (27) शासकीय शाला ग्राम–कुनरा (28) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–धनसुली, (29) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–सेरीखेड़ी, (30) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–जरोदा, (31) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–रामपुर, (32) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–पथरी एवं (33) शासकीय अस्पताल ग्राम–सिलयारी में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् उक्त कार्यों को प्रथम त्रैमास (1st quarter - October - December 2021) में 33 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास (2nd quarter - January to march 2022) में 33 प्रतिशत एवं तृतीय त्रैमास (3rd quarter - April to june 2022) में शेष 34 प्रतिशत कार्य किया जाकर पालन प्रतिवेदन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–6), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 662, 679, 696, 697, 712 एवं 713 में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेश (2 x 10 टन प्रतिघंटा) क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/ 53903/2020, दिनांक 16/06/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल लीज क्षेत्र – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/10/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डॉयरेक्टर एवं श्री संदीप कुमार वर्मा, महाप्रबंधक तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स विमता लेब्स लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्रीमती दुर्गा भवानी विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–पथर्रा 0.7 कि.मी., ग्राम–खरगहनी 1.5 कि.मी., शहर कोटा 4.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कलमितर 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। घोंघा नदी 5.5 कि.मी. एवं अरपा नदी 4 कि.मी. दूर है।

   - रामचंदा आरक्षित वन 5.2 कि.मी., कुआजाती आरक्षित वन 6.1 कि.मी., लोरमी आरक्षित वन 6.6 कि.मी., रतनपुर संरक्षित वन 7 कि.मी., शिवतराई संरक्षित वन 8.9 कि.मी., कंचनपुर संरक्षित वन 10.7 कि.मी., रानीबचाली आरक्षित वन 10.8 कि.मी., घासीपुर संरक्षित वन 10.9 कि.मी., ईस्ट बेलगहना संरक्षित वन 13.3 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत पथर्रा का दिनांक 22/09/2019 एवं ग्राम पंचायत खरगहनी का दिनांक 21/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व, जिला–बिलासपुर के

ज्ञापन क्रमांक/व.प्रा./तक.अधि./2021/1082 बिलासपुर, दिनांक 26/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अचानकमार टाईगर रिजर्व से 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।

4. **भूमि स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 28.72 एकड़ (11.62 हेक्टेयर) हैं, जिसमें वॉशरी प्लांट 2.45 एकड़, रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स 3.95 एकड़, अन्य फेसिलिटी 3.65 एकड़, वेकेंट भूमि 6.4 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में प्रस्तावित है।

6. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.768 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 से 40 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 60 से 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही निम्न अतिरिक्त उपाय किए जायेंगे :–

   I. उद्योग द्वारा कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस जैसे धुल उत्सर्जक इकाईयों की दूरी समीपस्थ रेल मार्ग से कम से कम 200 मीटर रखी जायेगी।

   II. उद्योग द्वारा रेल मार्ग की ओर अर्थात प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में कम से कम 65 मीटर चौडी ग्रीनबेल्ट का विकास किया जायेगा।

   III. उद्योग द्वारा पूर्व दिशा में 03 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 04 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा।

   IV. उद्योग द्वारा संपूर्ण आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा। आंतरिक मार्गों की सफाई एवं जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कव्हर्ड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,680 घनमीटर प्रतिदिन

को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 06/05/2021 से 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

10. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 44,708 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 तालाब 18,252 घनमीटर (लंबाई 65 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर, गहराई 8 मीटर) एवं 1 तालाब 9,360 घनमीटर (लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, गहराई 8 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 01 माह में पूर्ण किया जाए।
11. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग गुणा 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।
12. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे लाईन की तरफ 65 मीटर तक सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ऐसी वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाए जिसकी ऊंचाई कम से कम

25 मीटर से अधिक होती है। साथ ही प्रति हेक्टेयर 1,666 नग पौधों का रोपण 3 गुणा 2 मीटर के अंतराल में किया जाए।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 13.7 से 32.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 20.9 से 41.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.1 से 5.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.1 से 14.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 3.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 0.18 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 5.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.1 डीबीए से 52.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.2 डीबीए से 42.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 9342 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 10,272 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 04/08/2021 प्रातः 12:00 बजे ग्राम–पथर्रा के पंचायत भवन के पास स्थित मैदान, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाये।

ii. प्रक्रिया से उत्सर्जित धुल सड़क मार्ग पर एवं पास स्थित जमीन खेत आदि पर जमा होगा। जैसा कि घुटकु गांव में होता है। अतः आपत्ति है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वॉशरी में प्रारंभ से उपयुक्त जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्थाऐं की जाएगी एवं वॉशरी प्रारंभ होने के उपरांत नियमित रूप से कोल स्टोरेज यार्ड (रॉ–कोल, वाश्ड एवं रिजेक्ट) एवं आंतरिक मार्गों पर जल छिड़काव किया जाएगा।

ii. वॉशरी प्रारंभ होने के उपरांत जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सतत संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग परिसर के बाहर एप्रोच रोड में भी नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा। वॉशरी से प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या आमजनों / ग्रामवासियों को होने पर आपस में बैठकर जल, वायु, जमीन, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में दोनों पक्षों को मान्य हल निकाला जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
2200	2%	44	Following activities at nearby Government 18 Schools as per proposal	
			Rain Water Harvesting System	31.00
			Potable Drinking water Facility	6.30
			Running water facility for Toilets	4.25
			Plantation with fencing	2.45
			Total	**44.00**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पथर्रा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भरारी, (3) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–मोहभट्ठा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–मोहभट्ठा, (5) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भुण्डा, (6) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गनियारी, (7) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पिपरतराई, (8) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–खुरदुर, (9) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–अमली, (10) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–नेवरा, (11) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भौउआ कापा, (12) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–कलमीतार, (13) शासकीय प्राथमिक एवं

माध्यमिक शाला ग्राम–गोकुलपुर, (14) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–अमने, (15) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–केवरा पारा, (16) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–कहिरा, (17) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–खुंटाडीह तथा (18) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–छिपोरा में किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उद्योग परिसर की सीमा से निकटतम अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र की सीमा की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु संचालक, कार्यालय संचालक, अचानकमार–अमरकंटक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, कोनी, जिला–बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स सलका आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे) को खसरा क्रमांक 248, कुल लीज क्षेत्र 0.71 हेक्टेयर, ग्राम–सलका, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 2,993 टन (1,108 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.71 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2,993 टन (1,108 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.66	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Salka**	

			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	**0.50**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 517 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित हैं, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स श्री बालाजी ब्रिक्स उद्योग (प्रो– श्री घनश्याम चन्द्रा, चोरभट्ठी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट) को खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 97 एवं 116, ग्राम–चोरभट्ठी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा कुल लीज क्षेत्र 1.153 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 500 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,00,000) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.153 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 500 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,00,000) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Navin Primary School, **Village-chorbhatti (bhatapara)**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Total	**1.00**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौडी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 335 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**
20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश घोढ़ी) को खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367(पार्ट) एवं 320(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 4.12 हेक्टेयर, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–27,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. उत्खनन क्षेत्र 4.12 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर (मुख्य खनिज) का अधिकतम उत्खनन 27,900 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. Environmental Compensation हेतु निर्धारित कार्यों के अंतर्गत प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन कार्यों के तहत् एकीकृत रूप से आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध शासकीय भूमि में वृहद वृक्षारोपण कार्य, बायोडावर्सिटी पार्क/ऑक्सीजोन निर्माण आदि बाबत् निर्धारित शासन के उपक्रम से निरंतर संपर्क कर आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये कार्यों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रैमासिक (Quarterly) प्रेषित की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी

री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग (यदि हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र के उत्खनित क्षेत्र का रेस्टोरेशन (Restoration) कार्य खदान प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए। रेस्टोरेशन उपरांत लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौडी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
77	2%	1.54	Following activities at Government Middle School, **Village-Pathariya**	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.115
			Total	**1.355**
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.115
			Total	**0.605**
			Grand Total	**1.96**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,700 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

21. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 800**

पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

25. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

26. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

27. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

28. खनिज का उत्खनन अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

29. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

30. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

31. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

32. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

35. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

36. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

37. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

39. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

40. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S ISHWAR ISPAT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED FOR STEEL INGOTS/BILLETS THROUGH INDUCTION FURNACE (2X10 TPH) CAPACITY 60,000 TPA

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. No additional reheating furnace(s) based rolling mill shall be installed. Only change in the products such as TMT Bars and Re-rolled product.

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace with minimum 30 meter stack height. In existing reheating based rolling mill pollution control equipment scrubber shall be replaced with bag filter of adequate capacity and high efficiency with minimum 35 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3 all the time and lime dosing will to control the . The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of

Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Slag shall be sold to slag crushing unit/ brick manufacturing units. Filter bag dust shall be re-process in Induction furnace unit. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. ETP sludge sent to cement industry.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.02% (0.698 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining plantation will be done within 1 month.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3500	1%	35	Following activities at 27 Nearby Government Schools, 1 Hospital & 5 Primary Health Center	
			Rain Water Harvesting System	37.38
			Running Water Facility for Toilets	11.20
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	14.40
			Plantation with Fencing	8.00
			Total	**70.98**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**